यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की (हरिद्वार)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकत्सालय, रुड़की (हरिद्वार) के माह 04/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सन्तोष कुमार गुप्ता व पवन कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री साहिल जोली(वरि0 लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 23.01.2021 से 30.01.2021 तक श्री के0 एल0 भट्ट (वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री सुधीर कुमार (सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी) द्वारा दिनांक 05.04.2018 से 10.04.2018 तक श्री बी0 डी0 सिंह (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 01/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकत्सालय, रुड़की (हरिद्वार) के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रुड़की का शहरी क्षेत्र आता है।

(ब) सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन व अनुश्रवण इकाई के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(स) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹रु. लाख में)

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (12/2020 तक)**
प्रारम्भिक अवशेष	-	58.96	68.79
प्राप्तियाँ			
केंद्रान्श	236.22	197.03	150.79
राज्यान्श	859.12	789.39	634.62
अन्य (अधिष्ठान/निगम)	78.54	90.40	52.82
कुल उपलब्ध राशि	1173.88	1135.78	1907.02
व्यय	1114.92	1066.99	814.97
अंतिम अवशेष	58.96	68.79	92.05

इकाई को बजट शासन (राज्य सरकार, उत्तराखण्ड) एवं भारत सरकार से (केंद्रान्श) प्राप्त होता है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखंड, देहरादून

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकत्सालय, रुड़की (हरिद्वार)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर 01: बैंक-खाते एवं MOD (multi-option deposit) सुविधा का लाभ नहीं उठाने के कारण विगत तीन वर्षों मे रु. 5.4 लाख की ब्याज राशि की हानि का प्रकरण।

Funds shall be released by the Ministry to the SHS Bank Account for NRHM. The concerned Programme Officer on receipt of the sanction order from the Ministry shall move a specific proposal for release of funds to their respective sub accounts at state and district level in accordance GFR, to the Mission Director. The State FMG shall ensure that funds are released within ten working days of the receipt of the proposal. The Funds at State Level are managed by State PMSU and at district level by District PMSUs. Few important points w.r.t bank accounts are as follows:

Bank accounts of SHS and DHS should be kept in Savings Bank Accounts of the Scheduled Commercial Bank of RBI.

As per the instructions of MoHFW, there would be single bank account for Parts (A)- RCH, Part (B) -Additionalities under NRHM and Part (C) - Immunization. This account is referred as the Main Account of SHS and DHS.

इकाई के वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि -

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तीनों कार्यक्रमों को आच्छादित करने हेतु दो बैंक खाते (Current Account) खोले गए हैं, जबकि मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार के निर्देश के अनुसार Parts (A)- RCH, Part (B) -Additionalities under NRHM and Part (C) - Immunization हेतु केवल एक बचत खाता खोला जाना था। बचत खाता नहीं खोले जाने के परिणामस्वरूप ब्याज राशि से कार्यालय को वंचित रहना पड़ा।
2. चिकित्सा प्रबंधन समिति (CPS) के खातों मे 03/2019 को रु. 38.77 लाख एवं 03/2020 को रु. 35.63 लाख की धनराशि संचित थी। इस संचित धनराशि को बचत खाते की जगह चालू -खाता मे रखे जाने से सामान्य ब्याज की हानि हो रही है।
3. यदि सीपीएस वार्षिक बचत को MOD[1] (multi-option deposit) बचत से से किया जाता तो ब्याज के रूप मे प्रतिवर्ष न्यूनतम रु. 1.8 लाख (@6.0% X Avg रु. 30.00 लाख) की लाभ कार्यालय को मिल

[1] A flexi bank account or auto sweep facility, in which amounts in excess of predetermined amount is automatically transferred from current/saving bank account to fixed deposit, provides an opportunity to maximize interest yield because of higher rate of

सकस्ता था। इस प्रकार उचित बैंक-खाते एवं MOD का लाभ नहीं उठाने के कारण कार्यालय विगत तीन वर्षों मे रु. 5.4 लाख की ब्याज राशि से वंचित रहा। उल्लेखनीय है कि सीपीएस खाते पर अर्जित ब्याज 0049-मद के नियम से आच्छादित नहीं होने के कारण ब्याज राशि का उपयोग चिकित्सालय के विकास हेतु किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा सीपीएस वार्षिक बचत को MOD (multi-option deposit) बचत खाते के रूप मे नहीं रखे जाने के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे अवगत कराया कि नियमों का ज्ञान नहीं होने के कारण इंगित सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सका, भविष्य मे अनुपालन हेतु नोट किया गया है। उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः बैंक-खाते एवं MOD (multi-option deposit) सुविधा का लाभ नहीं उठाने के कारण विगत तीन वर्षों मे रु. 5.4 लाख की ब्याज राशि की हानि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

---

interest on fixed deposits as well as liquidity of funds, auto-sweep (MOD[1]) facility allowed interest @6.70~6.85 *per cent* per annum

भाग दो -"ब"

प्रस्तर 02: विशेषज्ञ सर्जन, फार्मेसिस्ट एवं अन्य स्टाफ पद की कमी के परिणामस्वरूप चिकित्सालय की संचालन दक्षता पर प्रभाव का प्रकरण।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवम दित्तीय स्तरीय की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है। आवश्यक सूचनाए/ आकड़ें महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित करना है, तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवन करना है।

रुड़की शहर औद्योगिक नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे श्रमिक निवास करते हैं। यहाँ पर देश के विभिन्न स्थानो से व्यापारियों का आवागमन होता है। ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी अधिक होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रुड़की के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की कुल स्वीकृत 94 पदों के सापेक्ष 32 पद रिक्त थे। चिकत्सा अधिकारी के 24 के सापेक्ष 06 पद, फार्मेसिस्ट के 04 पद के सापेक्ष 03 पद, स्वस्थ्य निरीक्षिका का एक पद के सापेक्ष एक पद, वार्ड ब्वाय का 07 के सापेक्ष तीन पद रिक्त है । यह रिक्त पद कार्यालय के प्रभावी एवं दक्ष संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके अभाव मे रोगियों को विवशतः दूसरी जगह रेफर करना पड़ता है। वर्ष 2018, 2019 व 2020 मे क्रमशः 113, 149 व 218 मरीजों को रेफर किया गया। इसके अतिरिक्त कार्मिकों की कमी के कारण जो मरीज चिकित्सालय मे इलाज हेतु दाखिल हुए हैं, उनकी ठीक से देखभाल भी संभव नहीं होता है।

कृपया उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने अपने उत्तर मे अवगत कराया कि सर्जन का पद रिक्त होने के कारण चिकित्सालय मे आने वाले मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । फार्मेसिस्ट का 04 पद के सापेक्ष 03 पद रिक्त रहने की स्थिति औषधियों का वितरण, अंकन, रिपोर्टिंग के कार्य मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वस्थ्य निरीक्षिका का एक पद के सापेक्ष एक पद, वार्ड ब्वाय का 07 के सापेक्ष तीन पद रिक्त रहने की स्थिति मे महिलाओं एवं शिशुओं के टीकाकारण कार्य मे कठिनाई उत्पन्न होती है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः विशेषज्ञ सर्जन, फार्मेसिस्ट एवं अन्य स्टाफ पद की कमी के परिणामस्वरूप चिकत्सालय की संचालन दक्षता पर प्रभाव का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
SS/01/2018-19	-	1, 2, 3, 4, 5	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध मे अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या सीधे ही प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकत्सालय, रुड़की (हरिद्वार)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा0 डी0 के0 चक्रपाणी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	23.04.2018 से 07.09.2019 तक
2	डा0 मनीष दत्त	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	08.09.2019 से 27.09.2019 तक
3	डा0 संजय कंसल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	28.09.2019 से वर्तमान (01/2021) तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस जे एन एस राजकीय संयुक्त चिकत्सालय, रुड़की (हरिद्वार)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (एएमजी-1) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी-I